मैसर्स ईपोर जीकेसी और आरकेसी और सन्स व अन्य

बनाम

स्टेशन हाउस ऑफिसर पॉन्डिचेरी व अन्य जरिए राज्य प्रतिनिधि

(आपराधिक अपील सं. 504/2001)

28 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा, जेजे.]

पांडिचेरी केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1969 व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955- खंड 13 व धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन। मिट्टी का तेल ले जाने वाले वाहन की रिपोर्टिंग के समय चेक पोस्ट पर वाहन खाली पाया गया। आरोपी फर्म, वाहन चालक और क्लीनर ने रास्ते में मिट्टी का तेल बेचने की बात कही। बयानों के आधार पर फर्म, उसके भागीदार, चालक, क्लीनर और खुदरा विक्रेताओं पर मुकदमा चला। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने फर्म और उसके भागीदार को दोषी ठहराया। अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं जिससे फर्म और उसके भागीदारों को दोषी ठहराया जा सके।

पांडिचेरी केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1969 का खंड 13 का उल्लंघन करने के लिए सात अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया। अपीलार्थी-ए1 एक साझेदारी फर्म मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता था, अपीलार्थी-ए2 फर्म का भागीदार था, अपीलार्थी- ए3 व ए4 क्रमशः उस वाहन के चालक और क्लीनर थे, जिसमें मिट्टी का तेल ए1 फर्म को आयात किया जा रहा था। ए5, ए6 और ए7 मिट्टी के तेल के खुदरा विक्रेता थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाहन में 11,000 लीटर मिट्टी का तेल आयात किया जाना था। जब वाहन को रोका गया और चेक पोस्ट पर चेक किया गया तो वह

खाली मिला। ए 3 (चालक) का बयान लेखबद्ध किया गया जिनमें उसने रास्ते में तेल बेचने का कहा। हालाँकि, बयान पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे। मुकदमा शुरू किया गया। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने ए 1-फर्म और ए 2-भागीदार को दोषी ठहराया और अन्य अभियुक्तों के संबंध में दोषमुक्त किए जाना यथावत रखा। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि ए 3 ने कथित तौर पर यह बयान दिया है कि उसने रास्ते में मिट्टी का तेल बेच दिया था। ऐसा ही बयान कथित तौर पर ए 4 द्वारा दिया गया था लेकिन अधिकारी द्वारा इसके आगे कार्यवाही की गई जबकि यह निर्विवाद था कि बयान हस्ताक्षरित नहीं थे। इन बयानों के तथ्य के अलावा और कोई तथ्य ऐसा नहीं था जो अपीलार्थियों को किसी तरह फंसाता हो, अपीलार्थियों को दोषी ठहराये जाने के लिए इस तरह के बयानों के प्रभाव को उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया कि मामले में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कदम नहीं उठाये गये तथा अनुसंधान पर कोई ध्यान केन्द्रीत नहीं किया गया कि क्या सामान रास्ते में बेचा गया था। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय का श्रेणीबद्ध निष्कर्ष यह था कि इस तरह का कोई बेचान नहीं हुआ था। भले ही अभियोजन पक्ष का यह तथ्य स्वीकार किया जाए कि ऐसी रसीद नहीं पायी गई, जो एक अर्थ में खरीद से संबंधित होगी न कि बेचान से। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पांडिचेरी केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1969 का खंड 13 यहां लागू नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का आदेश न्यायसंगत था और उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति का ठीक से

विश्लेषण किए बिना दोषसिद्धि का निर्देश दिया। [पैरा 6] [895 एच 896 ए, बी, सी, डी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 504/2001।

आपराधिक अपील सं. 401/1993 में मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2000 से उत्पन्न।

एम. करपागा विनयगम, अनिल कौशिक, शिव प्रकाश पांडे और गोपाल सिंह अपीलार्थियों की ओर से।

वी. कनकराज, एस.जे. एरिस्तोतले, वी.जी. प्रगसम और प्रभुराम सुब्रमण्यन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पासायत, जे.** द्वारा सुनाया गयाः-

1. जहां तक अपीलार्थी का प्रश्न है इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें 1984 के एसटीआर सं. 95 में पांडिचेरी के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्ति के फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था तथा पाँच अन्य लोगों को मामले में दोषमुक्त किए जाने के फैसले को यथावत रखा गया।

2. सात अभियुक्तगण ने निम्नलिखित तरीके से मुकदमे का सामना कियाः

अभियुक्तगण/अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप यह है कि ए-1 साझेदारी फर्म और ए-2 फर्म का भागीदार है, ए-3 संबंधित वाहन का चालक है और ए-4 क्लीनर है, जबकि ए-5, ए-6 और ए-7 को केरोसिन का खुदरा विक्रेता कहा गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पांडिचेरी, मद्रास से ए-1 फर्म को केरोसिन वितरित कर रहा है। ए-1 फर्म को पांडिचेरी केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1969 (संक्षेप में 'नियंत्रण

आदेश') के खंड 13 का पालन करना और केवल उस आदेश के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी अन्य थोक विक्रेता या पंजीकृत विक्रेता या लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्था या व्यक्ति को केरोसिन बेचना होगा। ऐसी बिक्री ऐसी मात्रा और ऐसे अंतराल में होगी जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 15.07.1984 को शाम करीब 6 बजे एक टैंकर लौरी पीवाईजेड- 5699 को मद्रास से चेक पोस्ट पर लाया गया था जिसमें ए-1 फर्म को 11,000 लीटर केरोसिन के आयात की सूचना दी गई थी और चालक ने रसीद संख्या 966260 दिनांक 15.07.1984 के माध्यम से 10/- रूपये की चुंगी का भी भुगतान किया गया था। प्रदर्श पी 2 के रूप में चिह्नित किया गया चालान संख्या 6124 दिनांकित 01.07.1984 को देखने के बाद अधिकारियों ने इस पर संदेह किया क्योंकि वह प्रेषण 14.07.1984 को हुआ था और जब वाहन की जांच की गई तो वाहन खाली पाया गया। इसलिए ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिसने अपनी लिखावट में बयान (ईएक्स.पी-3) दिये, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किये और ए-4 क्लीनर के साथ भाग गया। इसलिए ए-1 फर्म के साथ ए-2 पार्टनर के साथ-साथ ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा ए-5, ए-6 और ए-7 के विरूद्ध भी आरोप लगाया गया जो केरोसिन के खुदरा विक्रेता है जिन्हे ए-1 फर्म ने केरोसिन बेचने का दावा किया था।

साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने माना कि आरोप स्थापित नहीं हुए हैं। पांडिचेरी राज्य द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय को प्रश्नगत करते हुए उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई। जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है अपेक्षित आदेश में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त करने के फैसले

को निरस्त कर दिया जबकि अन्य पाँच सह-अभियुक्त व्यक्तियों की हद तक मामले को निरस्त कर दिया।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि नियंत्रण आदेश के खंड 13 को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री स्थापित नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि को यथावत् नहीं रखा जा सकता है। यह बताया गया कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही का आधार ए-3 का कथित बयान था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया और उसी को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है।

4. दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने 11,000 लीटर मिट्टी के तेल की रसीद दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए लेकिन सत्यापन करने पर यह पाया गया कि वे दस्तावेज इससे संबंधित नहीं हैं और इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि याचिकाकर्ता दोषी हैं।

5. नियंत्रण आदेश का खंड 13 इस प्रकार हैः

> "**13.** मिट्टी के तेल की बिक्री पर प्रतिबंध-इस आदेश के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी अन्य थोक विक्रेता या पंजीकृत विक्रेता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या व्यक्ति को छोड़कर कोई भी थोक व्यापारी मिट्टी का तेल नहीं बेचेगा। ऐसी बिक्री इतनी मात्रा में और ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।"

6. प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि यह विक्रय से संबंधित है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि ए 3 ने कथित तौर पर यह बयान दिया है कि उसने रास्ते में मिट्टी का तेल बेच दिया था। ऐसा ही बयान कथित तौर पर ए 4 द्वारा दिया गया था लेकिन अधिकारी द्वारा इसके आगे कार्यवाही की गई जबकि यह निर्विवाद था कि बयान हस्ताक्षरित नहीं थे। इन बयानों के तथ्य के अलावा और कोई तथ्य ऐसा नहीं था जो अपीलार्थियों को किसी तरह फंसाता हो, अपीलार्थियों को दोषी ठहराये जाने के लिए इस तरह के बयानों के प्रभाव को उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया कि मामले में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कदम नहीं उठाये गये तथा अनुसंधान पर कोई ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया कि क्या सामान रास्ते में बेचा गया था। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय का श्रेणीबद्ध निष्कर्ष यह था कि इस तरह का कोई बेचान नहीं हुआ था। भले ही अभियोजन पक्ष का यह तथ्य स्वीकार किया जाए कि ऐसी रसीद नहीं पायी गई, जो एक अर्थ में खरीद से संबंधित होगी न कि बेचान से। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पांडिचेरी केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1969 का खंड 13 यहां लागू नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का आदेश न्यायसंगत था और उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति का ठीक से विश्लेषण किए बिना दोषसिद्धि का निर्देश दिया। जिसे यथावत नहीं रखा जा सकता है।

7. अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 20.04.2008 के आदेश के अनुसार जमानत पर रिहाई के लिए अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित जमानत मुचलके उन्मोचित माने जाएंगे।

के.के.टी. अपील स्वीकृत।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **कन्हैयालाल पारीक (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।